




प्रसार भारती/Prasar Bharati
भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

फा.फ.सं.No. 904/51/2017-18एपीआईओ/APIO(आरटीआई/RTI)/8

दिनांक/Date: 07-08.2020

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

सक्षम प्राधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत कंटेंट संचालन अनुभाग के सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्री अभिषेक तिवारी, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया जाता है और श्री सुरेंद्र सिंह, उप महानिदेशक, (कंटेंट संचालन) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है / The Competent Authority, DG:DD, has accorded its approval to designate Shri Abhishek Tiwari, Assistant Director (Programme) as Central Public Information Officer and Shri Surender Singh, Dy. Director General (Content Ops.) designated as First Appellate Authority under Section 19(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to Content Operation Section of Directorate General, Doordarshan.


(संतोष कुमार/Santosh Kumar)


उप निदेशक (प्रशा.) आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI

सेवा में/To,

1. श्री अभिषेक तिवारी, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, कंटेंट संचालन अनुभाग / Shri. Abhishek Tiwari, Assistant Director (Programme) & CPIO, Content Operation Section, DG:DD.
2. श्री सुरेंद्र सिंह, उप महानिदेशक, कंटेंट संचालन /Shri Surender Singh, DDG (Content Ops.), Content Operation Section, DG:DD.

प्रतिलिपि/Copy to:-

आई.टी. सेल से अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यालय आदेश को doordarshan.gov.in वेबसाइट के आरटीआई वेबपेज में सभी की जानकारी हेतु उपलोड कर दें/IT Cell : with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage of doordarshan.gov.in for information of all concerned.


(संतोष कुमार/Santosh Kumar)

उप निदेशक (प्रशा.) आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI